

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मोलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जायिचे पटवार हल्का

वहक

श्री

पुत्र श्री

जाति राजपूत नि. भकरी, मोलास

मुकदमा नं. 4/2018

निर्णय दिनांक 11/9/18

प्रकरण का संबंधित में सार निम्नवत है कि ग्राम भकरी मोलास खसरा नम्बर 799
रकबा 0.800 हेक्टर किरा जे. आर. आर. (राजकीय भूमि) पर संवत् 2075 में श्री श्री अशोक
पुत्र श्री श्री अशोक जाति राजपूत निवासी भकरी मोलास
आगे अप्रार्थी कक्षा गया है। द्वारा जोल लंगा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का
अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण
दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया
गया। तलबी पर अप्रार्थी द्वारा लिखित में जवाब दावा पेश किया एवं भकरी मोलास

के ख. नं. 799 पर द्वारा अतिक्रमण नहीं है। जिसकी जांच पुनश्च
श्री अशोक से करवाई जाये। जांच के अतिक्रमण पर अप्रार्थी
का खसरा पाया गया। जांच रिपोर्ट माफिल मिसल है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम भकरी मोलास
के ख. नं. 799 रकबा 0.1150 हेक्टर जे. आर. आर. (राजकीय भूमि) पर संवत् 2075 में किरा
अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर जोल लंगा कर अतिक्रमण किये
जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से वेदखल किया जाकर कब्जा वहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 54 का 50 गुणा रूपया 34.50 रु. R.F. 35.00 रु.
(रूपये पैंतीस रूपये.) शास्ति
कायम की जाती है।

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी निर्णय की
नागौर एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।
गु. अभिलेख निरीक्षक

पत्रावली निर्णित शुमार होकर वाद तृतीय तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/9/18 का सारे इजलारा सुनाया।

(Signature)
नायब तहसीलदार भकरी
नायब तहसीलदार भकरी मोलास (नागौर)

2018-19
दस्तावेज नं. 54
पत्र नं. 355 का